UPMZ010023442026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1114 सन 2026

सोनू उर्फ सोहनवीर पुत्र भगवत
निवासी ग्राम नरोत्तमपुर माजरा थाना तितावी,
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—302 सन 2013
धारा — 3/4 लोक संपत्ति क्षति
निवारण अधिनियम
थाना— तितावी
जनपद— मुजफ्फरनगर

07.03.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना रतनपुरी के अपराध संख्या—302 सन 2013 धारा — 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। पुलिस द्वारा गलत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। यह भी कहा गया है कि आरोप पत्र के पश्चात आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय से कोई समन या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है तथा वह दिनांक 23.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त अत्यंत गरीब व्यक्ति है अतः कम से कम जमानत धनराशि पर आवेदक/अभियुक्त को रिहा कर दिया जाये। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इस

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.07 17:36:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा चन्द्रपाल लेखपाल द्वारा दिनांक 12.07.2013 को थाना तितावी पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि जांच करने पर पाया गया कि विपक्षीगण साधूराम व धीर सिंह ने खसरा नम्बर 151 जोहड/तालाब की 0.0520 है. भूमि पर मिटटी का भराव कर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार मान सिंह व सोनू ने शराव कर तथा मकान बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्हें कब्जा हटाने के लिये कहा गया परंतु उनके द्वारा आज तक तालाब की भूमि से कब्जा नहीं हटाया गया है।

5. अतः कथानक अनुसार यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा तालाब की सरकारी भूमि पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व अग्नि या विस्फोटक द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई कथन नहीं है। मामले में विवेचनोपरांत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23.02.2026 से जिला कारागार मे निरूद्व है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त **सोनू उर्फ सोहनवीर पुत्र भगवत** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन 25,000/– 25,000/– पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

(1) आवेदक/अभियुक्त बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने

के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा, –''आवेदक/अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(4) आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 07.03.2026

sv